न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2023/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/25/2025	2025/79	11.02.2025	19.02.2025

1– इसराईल पुत्र नवल खॉ जाति मेव निवासी ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल– तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास दिनाक 09.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2988 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित–

01. श्री सतीश कुमार शर्मा –वकील अपीलान्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 2988 निर्णय दिनांक 09.11.2024 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 347 रकबा 1.07 है0 का 1/4 दर 1/3 भाग वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी कंवरदीन उर्फ कमरूदीन पुत्र नवला जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, कंवरदीन उर्फ कमरूदीन पुत्र नवला ने उक्त आराजी खसरा न0 347 रकबा 1.07 है0 का 1/4 दर 1/3 भाग वाके ग्राम खानपुर मेवान का दानपत्र मिन अपीलान्ट को किया गया जो दानपत्र तहरीर दिनाक 30.08.2024 व तस्दीक दिनाक 30.08.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 614 में पृष्ठ संख्या 88 क्रंम संख्या 202403359101611 पर पंजिबद्व किया गया। बाद दानपत्र मिन अपीलान्ट उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, मिन अपीलान्टन का वास्तविक कब्जा है। दान पत्र मिन अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का खानपुर मेवान को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु दिया गया। जिस पर पटवारी हल्का खानपुर मेवान द्वारा नामान्तकरण संख्या 2988 दिनाक 09.10.2024 को दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु तहत अदालत के समक्ष पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत द्वारा बेजा रूप से यह दर्ज करते हुऐ खारिज कर दिया गया कि मुताबिक दस्तावेज एवं जमाबन्दी में दानकर्ता के नाम भिन्नता होने के कारण नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने हेतु अपना जाप्ता काम में नही लिया गया, जब उक्त दानपत्र स्वयं तहसीलदार किशनगढबास द्वारा तस्दीक किया गया है, जिस दानपत्र में दानकर्ता कंवरदीन उर्फ कमरूदीन पुत्र नवला जाति मेंव निवासी खानपुर मेवान दर्ज है, जिसमें दानकर्ता के दोनो नाम दर्ज है, जिस बाबत दानकर्ता द्वारा शपथ–पत्र भी दिया गया, लेकिन नामान्तकरण दर्ज करते वक्त गलत रूप से नामान्तकरण खारिज किया गया है। दानकर्ता ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, जिसके नाम में थोडा बहुत परिवर्तन था, जिस बाबत उसके द्वारा शपथ–पत्र दिया था, तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं दानपत्र तस्दीक

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

किया गया था। यदि उन्हे कोई आपत्ति थी तो उसी समय दानपत्र तस्दीक नही करना चाहिए था, लेकिन तहत अदालत द्वारा गलत रूप से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए नामान्तकरण खारिज किया गया है। जिससे मिन अपीलान्ट को काफी प्रज्यूडिस होना पडा है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने से पूर्व मिन अपीलान्टान को कोई सूचना नही दी गयी। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को पूर्व में नही थी, पारित निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्टान को सर्वप्रथम दिनाक 05.01.2025 को हुई, जब पटवारी हल्का से असल बयनामा लेने गया जिस पर दिनाक 08.01.2025 को पटवारी हल्का से नकल प्राप्त की गयी। जिससे अपील अपीलान्ट साधारणतया अन्दर अवधि पेश है, लिहाजा दिनाक 09.11.2024 से आज दिनाक तक की अवधि कन्डोन किये जाने योग्य है। अत अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2988 ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 11.09.2024 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास नामान्तकरण संख्या 2988 के विरूद्व दिनाक 13.01.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 1 माह 9 दिन पश्चात पेश की गयी है। जो विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्टान द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.11.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 05.01.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन किया है, कि आराजी खसरा न0 347 रकबा 1.07 है0 का 1/4 दर 1/3 भाग वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास में स्थित है, आराजी कंवरदीन उर्फ कमरूदीन पुत्र नवला जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी, कंवरदीन उर्फ कमरूदीन पुत्र नवला ने उक्त आराजी खसरा न0 347 रकबा 1.07 है0 का 1/4 दर 1/3 भाग वाके ग्राम खानपुर मेवान का दानपत्र अपीलान्ट को किया गया। जो दानपत्र तहरीर दिनाक 30.08.2024 व तस्दीक दिनाक 30.08.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 614 में पृष्ठ संख्या 88 क्रंम संख्या 202403359101611 पर पंजिबद्व किया गया। बाद दानपत्र मिन अपीलान्ट उक्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, अपीलान्टन का वास्तविक कब्जा है। दान पत्र अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का खानपुर मेवान को वास्ते दर्ज करने नामान्तकरण की कार्यवाही हेतु दिया गया। पटवारी हल्का खानपुर मेवान द्वारा नामान्तकरण संख्या 2988 दिनाक 09.10.2024 को दर्ज कर वास्ते निर्णय हेतु पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत द्वारा बेजा रूप से यह दर्ज करते हुऐ खारिज कर दिया गया कि मुताबिक दस्तावेज एवं जमाबन्दी में दानकर्ता के नाम भिन्नता होने के कारण नामान्तकरण अस्वीकार किया जाता है। जब उक्त दानपत्र स्वयं तहसीलदार किशनगढबास द्वारा तस्दीक किया गया है, जिस दानपत्र में दानकर्ता कंवरदीन उर्फ कमरूदीन पुत्र नवला जाति मेंव निवासी खानपुर मेवान दर्ज है, जिसमें दानकर्ता के दोनो नाम दर्ज है, जिस बाबत दानकर्ता द्वारा शपथ–पत्र भी दिया गया, लेकिन नामान्तकरण दर्ज करते वक्त गलत रूप से नामान्तकरण खारिज किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वयं दानपत्र तस्दीक किया गया था। यदि कोई आपत्ति थी, तो उसी समय दानपत्र तस्दीक नही करना चाहिए था, लेकिन तहत अदालत द्वारा गलत रूप से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इस निर्देश के साथ तहसीलदार किशनगढबास को प्रतिप्रेषित किया जाता है, की अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पेश दानपत्र में वर्णित खातेदार के नाम के बाबत पुनः विधिसम्मत जॉच कर अधिकतम दो माह में निर्णय पारित करे। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 09.11.2024 नामान्तकरण संख्या 2988 वाके ग्राम खानपुर मेवान तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा निरस्त किया जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास को तहत रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

जिला कलक्टर
जिला खैरथल तिजारा (राज०)